तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
05–2–25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मानाराम पटेल , अभिभाषक प्रार्थी । श्री बरकत खां, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अन्तर्गत विद्वान सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 22–5–06 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण द्वारा विवादित आराजी बाबत् एक राजस्व वाद खातेदारी घोषणा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। दौराने वाद प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर अप्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया। सहायक कलेक्टर बालोतरा ने उभय पक्ष को सुन कर अपने निर्णय दिनांक 22–5–06 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि पूर्व में इन्हीं पक्षकारों के मध्य वाद सं. 104/74 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चला था, जिसमें प्रत्यक्षतः व शारतः विषय यही था। पुनः इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अप्रार्थीगण का काउंटर क्लेम चलने योग्य नहीं था। वाद सं. 104/74 दिनांक 18–4–77 को खारिज हो चुका है। एसी स्थिति में अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने से खारिज योग्य था। उक्त दावे में एवं वर्तमान काउंटर क्लेम के तथ्य एवं पक्षकार एक ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के सबंध में जवाबदावे के साथ प्रस्तुत काउंटर क्लेम के कथनों को देखना होता है। अन्य किसी दस्तावेज व जवाबदावा पर विचार नहीं किया जाता। शेष तथ्य साक्ष्य के बाद ही निर्णित होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउंटर क्लेम को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते हुए नियमानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है। अतः निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के संबंध में मूल वाद अंतर्गत धारा 88, 89 सपठित धारा 15 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय में लम्बित है। प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। काउंटर क्लेम को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत होने पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 12–5–99 से करते हुये विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को पक्षकार बनाया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण की निगरानी मंडल द्वारा दिनांक 14–8–02 को खारिज की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की सिविल पिटीशन सं. 1085/03 दिनांक 20–3–03 को एवं डीबी स्पेश अपील रिट नंबर 415/03 निर्णय दिनांक 28–7–03 से खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम में कोई रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होना नहीं माना है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया है। हमारे समक्ष प्रार्थी द्वारा उठाये गये समस्त तथ्य मूल वाद एवं काउंटर क्लेम में सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया एवं साक्ष्य–जवाब आदि के पश्चात् तय होने है। मूल दावा एवं काउंटर क्लेम अभी प्रारम्भिक स्तर पर है और उसमें उभय पक्ष के हक हकूक एवं अधिकार तय होना बाकी है। सहायक कलेक्टर बालोतरा का आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दिनांक 22–5–06 पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात पारित किया गया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–06 में विधि अथवा तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाए। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	